5

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जिला मुजफ्फरनगर

कृते जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर। 10/02/10

महोदय,

निवेदन यह है कि ग्राम शाहपुर परगना भूम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 151 रकबा 0.780 है0 पर जगराम पुत्र ज्ञान निवासी शाहपुर का नाम अंकित है। यह भूमि जगराम पुत्र ज्ञान को द्वारा सिलिंग आवंटन प्राप्त है लेकिन जगराम पुत्र ज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर या आसपास के गांव में नहीं रहता है इस भूमि के सम्बन्ध में एक वाद धारा 186 Z.A. के अन्तर्गत तहसीलदार जानसठ के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर गन्ने की फसल खडी है। लेकिन उक्त भूमि का कोई मालिक मौके पर न होने के कारण गन्ने की फसल पर कुछ भू–माफियाओं जैसे महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शाहपुर आदि की नजर लगी हुई है और ये भू–माफिया इस गन्ने की फसल को कभी भी अवैध रूप से काट सकते है। ऐसी दशा में राज्य सरकार को क्षति होगी तथा भू–माफियायों को लाभ होगा व उनका मनोबल बढेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त खसरा नम्बर पर खडी लावारिस गन्ने की फसल का नीलाम करके धनराशि को राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जावे अथवा किसी भी अवैध व्यक्ति द्वारा गन्ने की फसल को काटने से रोकने की पुख्ता व्यवस्था की जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :– 08.02.2010

प्रार्थी

उपकार सिंह पुत्र श्री लहरी सिंह

निवासी ग्राम रहडवा परगना भूम्मा

सम्भलहेडा तहसील जानसठ

जिला मुजफ्फरनगर

तह0 जानसठ

आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या

ना0 तह0

R.I. (MI)

तहसीलदार महोदय

संलग्न प्रार्थना पत्र उपकार सिंह पुत्र लहरी सिंह निवासी ग्राम- रहडवा परगना- भु०स० तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध मे स्थलीय जाँच की गई। जाँच आख्या निम्न प्रकार है। -

ग्राम- शाहपुर परगना- भु०स० तहसील- जानसठ जनपद- मुजफ्फर नगर की खतौनी खाता न० 26 खसरा न० 15। क्षेत्रफल 0.780 हैक्टे० लगान 12=30 रु० पर जगराम पुत्र ज्ञान निवासी ग्राम का नाम अंकित है। यह भूमि सीलिंग आवंटन द्वारा प्राप्त है। जगराम पुत्र ज्ञान निवासी ग्राम- शाहपुर नाम का कोई व्यक्ति वर्तमान मे ग्राम- शाहपुर मे निवास नही करता है। इस कारण यह भूमि लावारिस भूमि है, जिसके सम्बन्ध मे स्वत्व वाद ज०वि० अधि० की धारा 186 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार महोदय जानसठ मे विचाराधीन है। उक्त वाद के न्यायालय मे विचाराधीन होने के दौरान प्रश्नगत भूमि पर महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह व जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम- शाहपुर ने अवैध रूप से कब्जा करके गन्ने की फसल बो ली है। जो इस समय मौके पर तैयार खड़ी है। उक्त अवैध कब्जेदार महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह क्षेत्र के बड़े भूमाफिया है।

अतः उक्त खसरा न० 15 क्षेत्रफल 0.780 हैक्टे० स्थित ग्राम- शाहपुर मे अवैध रूप से बोई गई गन्ने की फसल को कुर्क करने एवं न्यायालय मे वाद विचाराधीन रहने के दौरान उक्त अवैध कब्जेदारो को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने व अवैध कब्जेदारो महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम- शाहपुर के विरुद्ध भूमाफिया के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]
6.9.10
र०का०

RC
प्रस्तुत
18/9/10

तहसीलदार जानसठ
महोदय
रा०नि० [illegible]
[illegible]

13/9/2010

तह० जानसठ।
उपरोक्तानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर दीजिये

564/RC
[illegible]

कार्यालय तहसीलदार, तहसील–जानसठ, मुजफ्फरनगर

संख्या 79/6 /आर0सी0–10 दिनांक 18.09.2010

श्री अजबसिंह
नायब तहसीलदार
क्षेत्र–मीरांपुर
तहसील–जानसठ।

कृपया सलंग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी उपकार सिह पुत्र श्री लहरी सिह नि0ग्राम रहडवा परगना भू0स0 सम्भलहेडा तहसील जानसठ पर अपनी जांच रिर्पोट दिनांक 13.09.2010 पर पारित उप जिलाधिकारी महोदय जानसठ के आदेश दिनांक 18.09.2010 के परिप्रेक्ष्य मे विवादित भूमि पर खडी फसल को मौके पर जाकर अपने कब्जे मे लेकर अग्रिग कार्यवाही सुनिश्चित करे एंव विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध मे अवैध कब्जेदारो (भूमाफिया) के विरुद्ध क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा सम्बन्धित थाने मे सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराकर आख्या दे।
सलंग्न–यथोपरि।

18/9/10
तहसीलदार
जानसठ।

प्रतिलिपि:– थानाध्यक्ष रामराज को इस आशय से कि राजस्व टीम के सम्पर्क करने पर मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतू वाछित पुलिस बल उपलब्ध कराये एंव प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

तहसीलदार
जानसठ।

465

क्षेत्रीय लेखपाल

उ० तहसीलदार महोदय जानसठ के आदेश के अनुपालन मे अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध नियमानुसार (भूमाफिया) के सम्बन्धित थाना मे सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें।

ना०त०(मी०)
18/9/2010

मु0अ0स0 284/10 धारा 123B, ZLR Act PS रामराज मुजफ्फरनगर

मूल द्वितीय तृतीय प्रतिलिपि

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

न्यायालय वादी/कार्यालय के लिए

बुक सं0 ——

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पृष्ठ संख्या ——

0041339

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना रामराज

सब–डिस्ट्रिक्ट जानसठ

जिला, मुजफ्फरनगर

संख्या 65/10

घटना का दिनांक का समय अदमतहरीर

...व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
13.10.2010 8.30 AM	ग्राम शाहपुर डरी – 10K दिशा – उत्तर पूर्व	डाक द्वारा

प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिएं।

...चना देने वाले या ...का नाम व निवास-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	तफतीश जारी

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी।

हस्ताक्षर ——

पद —— 13/10/10

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त मे लगवाना चाहिये।

यू0पी0 (आर0आर0)–016 पुलिस–दि0 26-11-08–5,000 बुकें (कम्प्यूटर/आफसेट)।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर
महोदय ग्राम शाहपुर परगना भूमा सम्भलहेडा तहसील जानसठ
जिला मुजफ्फरनगर की खतौनी खाता संख्या – 26 खसरा सं० – 151 क्षेत्रफल
0.780 है० लगान 12.30 पर महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह व जगदीप सिंह
पुत्र महेन्द्रसिंह निवासीगण ग्राम शाहपुर द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके
गन्ने की फसल को बोई है। प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में
जगराम पुत्र श्यान नि० शाहपुर के नाम अंकित है। जो सिलिंग आवंटन
द्वारा प्राप्त है। जगराम पुत्र श्यान के ग्राम में निवास न करने के कारण
पूर्व से ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार धारा 186 ज०
वि० अधि० के अन्तर्गत वाद न्यायालय तहसीलदार जानसठ के यहाँ
विचाराधीन है। अवैध कब्जा कर्ता महेन्द्रसिंह व जगदीप सिंह
क्षेत्र के बड़े भूमाफिया हैं। इनके द्वारा वन विभाग, लापता
लोगों की भूमि व सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कार्यवाही
निरन्तर की जा रही है। आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर के समक्ष शिकायत कर्ता उधमसिंह पुत्र ... सिंह
नि० रहड़वा द्वारा उक्त अवैध कब्जे के सम्बन्ध में शिकायत
की गयी थी जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक
द्वारा जाँच करने पर शिकायत सही पाई गयी है। जिसके
सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय
जानसठ एवं नायब तहसीलदार महोदय, श्रीमान् द्वारा
अवैध कब्जा कर्ताओं के विरुद्ध भूमाफिया के अन्तर्गत
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु मुझे आदेशित किया
गया है। अतः आप से निवेदन है कि अवैध कब्जा कर्ता
महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह व जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह नि०
सा० ग्राम शाहपुर थाना रामराज के विरुद्ध भूमाफिया के अन्तर्गत
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की कृपा करें रिपोर्ट दर्ज
किये जाने हेतु आख्या सेवा में प्रस्तुत है। Sd (नरेशपाल)
12.10.10 उप जिलाधिकारी लेखपाल क्षेत्र शाहपुर (?) परगना भूमा
सम्भल हेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर

नोट : मैं HC 81 नरेशसिंह प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर ... मिलान
किया गया पर शब्द अक्षर अंकित की गयी।

नरेश ...
13.10.10

मु० अ० सं० 281/09 धारा 447/504/506 भा०द०वि० 123(B) Z.L.R. Act पी.एस. रामराज मु० नगर

आरोप-पत्र (मूल)

A 330141

जनपद: [illegible] .... ता० .... ११ 2010

थाना: रामराज .... क्रम संख्या ....

प्रथम सूचना संख्या 65/09 तारीख 13/9/09 सन् 19 ....

आरोप-पत्र संख्या 48/09 तारीख 27/11/09 सन् 19 ....

अपराध-संख्या 281/09 दि० 13/9/09

पते और संख्या	2 नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं, चाहे पकड़े गये हों या न पकड़े गए हों: संदिग्ध अभियुक्त — नाम	उम्र	फरार अभियुक्त — नाम	उम्र	3 अभियुक्तों के नाम व पते, जिनका चालान किया गया हो: गिरफ्तार — नाम व पता	उम्र	जमानत व व्यक्तिगत मुचलके पर — नाम व पता	उम्र	मुक्त — नाम व पता	उम्र	4 माल (हथियार सहित) जो पाये गये हैं इस विवरण के साथ कि कहाँ और किस व्यक्ति द्वारा पाया गया और किसके पास से पकड़ा गया और क्या मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया	5 आरोप या सूचना, अपराधी का नाम और उससे सम्बन्धित परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण और विवाद की वह धारा जो अपराधी के इलजाम में लगाई गई हो	6 मुकदमा का परिणाम	7 गवाहों के नाम और पते	8 विवरण अपराधी	9 पूर्व सजाएं — दिनांक	स्थान	सजा
	जनपद न्यायालय... सहाय लादर तहसील... कागज		[illegible]		① महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह नि० आदमपुर ② जगदीप पुत्र महेन्द्र सिंह नि० — थाना रामराज जि० मु० नगर						NIL 447/504/506 व 123(B) Z.L.R. Act	[illegible] श्रीमान जी, मुकदमा उपरोक्त... सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में दि० 13/9/09 को पंजीकृत होकर विवेचना ... की गई, ... गवाहान ... के बयान ... महेन्द्र सिंह व जगदीप आदि 3 के विरुद्ध धारा 447/504/506 व 123(B) Z.L.R. Act के पर्याप्त साक्ष्य ... मा० न्यायालय ... आरोप पत्र सं० 48/09 दि० 27/11/09 ...						

[illegible] ... सम्बन्धित ... किया गया ... J(S.D.) Court No./ ACJM Muzaffarnagar 14.12.2010

अग्र दिन/रात का दिनांक .... सन् 19 .... ई० को भेजा गया।

मु०मु०पी० (आर०ई०) 2 पुलिस/22—17-4-97—25,300 पुस्तकें

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर [signature] 27/11/09

नाम पता गवाहान –

1. श्री जय भगवान लेखपाल क्षेत्र [illegible] तहसील [illegible] जि० [illegible] – [illegible] (वादी)
2. HC 81 [illegible] कुमार [illegible] राजराज जि० [illegible] – [illegible] (HR & G रिलीफ)
3. श्री [illegible] कुमार शर्मा राजस्व निरीक्षक तहसील [illegible] जि० [illegible] – (गवाह)
4. " [illegible] सिंह पु० श्री लटूर सिंह नि० [illegible] वाजी राजराज जि० [illegible] – (")
5. " प्रमोद पु० [illegible] सिंह नि० ———— " ———— (गवाह)
6. " [illegible] सिंह [illegible] ———— " ———— (गवाह)
7. " [illegible] सिंह पु० श्री [illegible] सिंह नि० [illegible] वाजी राजराज जि० [illegible] (")
8. रामसिंह चौहान नि० वाजी राजराज जि० [illegible] – [illegible] ———— (निवेदक)

[illegible]
[illegible] 11/24

(रामसिंह चौहान
वाजी राजराज जि० [illegible])

Tove
[illegible]
[illegible]